

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 679]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 28 दिसम्बर 2020 — पौष 7, शक 1942

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 28 दिसम्बर 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-215/2019/18.— छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम पंचायतों को सम्मिलित करते हुए नगर पंचायत समोदा, जिला-रायपुर गठित करता है:—

अनुसूची —1

नगर पंचायत समोदा में सम्मिलित ग्राम पंचायतों का विवरण निम्नानुसार है:—

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	जनसंख्या वर्ष 2011
1	समोदा	3003
2	कागदेही	2261
3	कुसमुंद	1643

अनुसूची —2

नगर पंचायत समोदा की सीमाएं निम्नानुसार होंगी :—

ग्राम पंचायत समोदा, ग्राम पंचायत कागदेही तथा ग्राम पंचायत कुसमुंद की सम्पूर्ण सीमाएं ही नगर पंचायत समोदा की सीमाएं होंगी।

नगर पंचायत समोदा के आम निर्वाचन होने तक छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 के उद्देश्यों के लिए उक्त अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों के अधीन वर्तमान में निर्वाचित ग्राम पंचायत समोदा, ग्राम पंचायत कागदेही तथा ग्राम पंचायत कुसमुंद नगर पंचायत समोदा के कृत्यों का निर्वहन करेंगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच.आर.दुबे, उप-सचिव.

अटल नगर, दिनांक 28 दिसम्बर 2020

क्रमांक एफ 1-215/2019/18.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-215/2019/18 दिनांक 28-12-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच.आर.दुबे, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 28th December 2020

NOTIFICATION

No. F 1-215/2019/18.— In exercise of powers conferred by section 5 of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government, hereby constitute Nagar Panchayat Samoda in District-Raipur as given in the following Schedule :-

SCHEDULE-1

The particulars of the Nagar Panchayat Samoda is as under :-

S.No.	Name of Gram panchayat	population year 2011
1	Samoda	3003
2	Kagdehi	2261
3	Kusmund	1643

SCHEDULE -2

The boundaries of the Nagar Panchayat Samoda is as under :-

The Boundaries of the Nagar Panchayat Samoda shall be the boundaries of existing Gram Panchayat Samoda, Gram Panchayat Kagdehi and Gram Panchayat Kusmund.

The present elected Gram Panchayat Samoda, Gram Panchayat Kagdehi and Gram Panchayat Kusmund Shall function as Nagar Panchayat Samoda under section 5 of Chhattisgarh Municipalities Act 1961 till the election of Nagar Panchayat Samoda.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
H.R. DUBEY, Deputy Secretary.